SHRI RIPUN BORA: Sir, this question is regarding small tea growers. Sir, in Assam, there are thousands and thousands of small tea growers. As per the answer given by the Minister, the Government has given special package for the entire North Eastern Region. There are seven States. For these seven States, in 2017-18, the assistance was ₹ 113 lakhs, whereas, in the years 2018-19, only ₹ 18.75 lakhs have been given. Sir, this amount is very, very insignificant. My question to the hon. Minister is: will the hon. Minister increase the allocation to benefit thousands and thousands of small tea growers? It is totally insignificant, Sir.

SHRI SOM PARKASH: Sir, the assistance given to tea growers in Assam is ₹8,85,00,000 and the assistance given to other States is separate from this. The total assistance given is ₹20,45,00,000.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, encouraging the MoS is very good, but occasionally the Cabinet Minister could also answer. ...*(Interruptions)*...

कुशल और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी

***291. श्री हरनाथ सिंह यादव:** क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों अथवा क्षेत्रों में अनुमत्य पाठ्यक्रमों की संख्या कितनी है और कौन-कौन से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या कौशल विकास केन्द्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु कुशल और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी है; और

(ग) क्या कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालित मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु कुशल प्रशिक्षक तैयार करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत सरकार अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को नियोजनीय कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) जो प्रशिक्षण के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखने लिए क्षमता आधारित ढांचा है, के अनुरूप हैं। अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण के अंतर्गत

अब तक क्रमश: 2633 और 400 पाठ्यक्रमों को विभिन्न सेक्टरों में एनएसक्यूएफ के अनुरूप बनाया गया है। जॉब रोलों का ब्यौरा राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर में उपलब्ध है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न सेक्टरों में एनएसक्यूएफ के अनुरूप बहुत से जॉब रोलों में 1 करोड़ लोगों को कौशलीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आधार पर एक महत्वाकांक्षी स्कीम "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 2.0) 2016-20" का कार्यान्वयन कर रहा है।

दीर्घावधि प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दिया जाता है। 14494 आईटीआई हैं जिनकी सीट क्षमता 33.98 लाख है और ये शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत 138 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015 में कौशलीकरण के गुणवत्ता आश्वासन पर बल दिया गया है। एक विशिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण घटक गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों की आपूर्ति कर रहा है। अपर्याप्त कुशल और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एमएसडीई ने प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, आकलन और प्रमाणन के लिए एक सुदृढ़ मानकीकृत और मापनीय मॉडल उपलब्ध कराते हैं। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण केवल क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) प्रमाणित प्रशिक्षकों के माध्यम से दिया जाता है। एसएससी ने अनिवार्य संगत उद्योग अनुभव वाले सभी जॉब रोलों में प्रशिक्षकों की न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को परिभाषित किया है। इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए एसएससी डोमेन जानकारी और प्रशिक्षण प्रदायगी दोनों में मानकीकृत विषय-वस्तु संबंधी प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करता है। प्रमाणित प्रशिक्षकों का रिकॉर्ड रखने के लिए मंत्रालय द्वारा "तक्षशिला" नामक एक समर्पित पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल प्रशिक्षकों के लिए टीओटी दिशा-निर्देश, टीओटी कार्यक्रमों और पात्रता मानदंडों संबंधी अधिसूचनाएं भी उपलब्ध कराता है।

आईटीआई को प्रशिक्षित प्रशिक्षक उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के अंतर्गत देशभर में 33 राष्ट्रीय कौशत्र प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) प्रशिक्षकों के लिए एक वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं और राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र (एनसीआईसी) प्राप्त करते हैं। विभिन्न ट्रेडों में अनुदेशक प्रशिक्षण के लिए सीट क्षमता को राज्य सरकारों के अंतर्गत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 6 संस्थान स्थापित करके बढ़ाया गया है और ऐसे पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए 12 निजी आईटीओटी को अनुमति दी गई है। डीजीटी ने तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले मौजूदा अनुभवी अनुदेशकों को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र (एनसीआईसी) प्राप्त करने के लिए 2018-19 के दौरान "पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)" की स्कीम कार्यान्वित की है। ऐसे अनुदेशकों को एनसीआईसी प्राप्त करने और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा (एआईटीटी) में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है।

Shortage of skilled and trained trainers

†*291. SHRI HARNATH SINGH YADAV: Will the Minister of SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP be pleased to state:

(a) the number of permissible courses in various industries or sectors under skill development scheme and the names of the courses which are being run;

(b) whether there is a shortage of skilled and trained trainers in various courses at the skill development centres; and

(c) whether any action plan has been formulated by Government to prepare skilled trainers for existing training centres under skill development scheme, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (DR. MAHENDRA NATH PANDEY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Under Skill India Mission, the Government is implementing various schemes for imparting employable skills to the youth through short term and long term training. These courses are to be aligned to the National Skill Qualification Framework (NSQF), a competency-based framework for maintaining the standards and quality of training. So far, 2633 and 418 courses across various sectors have been aligned to NSQF under short term and long term training respectively. The details of the job roles are available in the National Qualification Register.

The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) implementing a flagship scheme 'Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY 2.0) 2016-20' on pan-India basis with an objective to provide skilling to one crore people in multiple NSQF aligned job roles across various sectors

Long term training is imparted through Industrial Training Institutes (ITIs). There are 14494 ITIs with a seating capacity of 33.98 lakh imparting training in 138 trades under Craftsman Training Scheme.

(b) and (c) National Policy of Skill Development and Entrepreneurship 2015 laid impetus on quality assurance in skilling. One of the critical quality control factors is

†Original notice of the question was received in Hindi.

the supply of quality trainers. In order to address the concern of inadequate skilled and trained trainers, MSDE has released Training of Trainers (ToT) guidelines which provide a robust, standardized and scalable model for training, assessing and certifying Trainers. Under PMKVY skill training is imparted only through Sector Skill Council (SSCs) certified trainers. The SSCs have defined the minimum eligibility requirement of trainers across all the job roles with mandatory relevant industry experience. In adherence to these guidelines, SSCs conduct the training and certification program for trainers on a standardized content, on both, domain knowledge and training delivery skills. In order to maintain records of certified trainers, a dedicated portal, Takshashila', has been developed by the Ministry. The portal also provides access to the ToT guidelines, notifications on upcoming ToT programs and eligibility criteria for trainers.

To provide trained trainers to ITIs, 33 National Skill Training Institutes (NSTIs) across the country under Directorate General of Training (DGT), MSDE offer one year duration course to trainers and get National Crafts Instructor Certificate (NCIC). The seating capacity for instructor training in various trades has been enhanced by setting up 6 Institutes for Training of Trainers (IToTs) under State Governments and allowing 12 Private ITOTs to offer such courses. DGT has implemented a scheme of 'Recognition of Prior Learning (RPL)' during Year 2018-19 to encourage existing experienced instructors with more than 3 years experience, to get National Crafts Instructor Certificate (NCIC). Such instructors are allowed to appear in All India Trade Test (AITT) to get NCIC and fill the shortage of trained instructors.

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं सवाल करूँ, उससे पहले कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मान्यवर, हिन्दी भाषा को अपमानित करने और हिन्दी भाषा के प्रति अरुचि पैदा करने का एक सुनियोजित तरीका...

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं सवाल पर आ रहा हूँ। यह सवाल से ही संबंधित है।

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, यह सवाल से ही संबंधित है। आप मेरी बात सुन लीजिए। एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है हिन्दी भाषा के प्रति अरुचि पैदा करने का। बहुत बार अंग्रेजी शब्दों का जो अनुवाद आता है, वह या तो गलत आता है या इतना कठिन शब्द आता है, जो आम आदमी की समझ में नही आता है।

श्री उपसभापति: हरनाथ यादव जी, आप सवाल पूछिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं सवाल से संबंधित बात ही कह रहा हूँ। मान्यवर, मैंने सवाल पूछा था कि विभिन्न उद्योगों अथवा क्षेत्रों में अनुमन्य पाठ्यक्रमों की संख्या कितनी है? और जो अंग्रेजी में उत्तर आया है, इसमें कहा है, "The number of permissible courses..." और इसमें जो प्रिंट हुआ, वह हुआ "अनुमत्य पाठ्यक्रमों"। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि 'अनुमन्य' शब्द तो हिन्दी में है, 'अनुमत्य' नाम का कोई शब्द नही है।

श्री उपसभापति: आपका सवाल क्या है?

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मेरा कहना यह है कि यह अनुवाद सही होना चाहिए। अब मैं मूल सवाल में, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों के चयन के मानक और उसकी प्रक्रिया क्या है और क्या चयनित प्रशिक्षकों का कोई वेतनमान निर्धारित किया गया है?

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य के दो सवाल एक साथ हैं। मैं मान ले रहा हूँ कि दोनों उनके सप्लीमेंटरीज़ हैं। पहला अनुवाद से संबंधित अलग सवाल है और दूसरा सवाल प्रशिक्षकों के संबंध में है।

श्री हरनाथ सिंह यादव: माननीय उपसभापत्ति महोदय, यह मेरा पहला सवाल है।

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइए। अब आपको इजाज़त नही है, इसलिए आप बैठ जाइए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, आप मुझे संरक्षण दीजिए।

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवाद के संबंध में, यदि हमारे विभाग से त्रुटि हुई है, तो हिन्दी में मैं स्वयं मैं पीएचडी हूँ और मैं हिन्दी पर बल देता हूँ और आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा। यह भरोसा मैं आपको देता हूं।

जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात है, तो हम लोग 2,633 पाठ्यक्रम NSQF से सर्टिफाइड चलाते हैं, यह मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ। हमने ट्रेनर्स का एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। परम्परागत जो ट्रेनिंग आईटीआई टेक्निकल की चलती थी, वे तो चल ही रही हैं। उसके साथ-साथ PMKVY में लगभग 10,000 ट्रेनर्स हर वर्ष, जो सरकार का सिस्टम है, उसके अनुसार ट्रेन करते हैं। हमने इसमें निजी इंडस्ट्रीज को भी ट्रेनिंग देने का अधिकार दिया हुआ है और वे लगभग 12,000 ट्रेनर्स प्रति वर्ष तैयार करते हैं। हमारे पास ट्रेनर्स की संख्या की कमी नही है, लेकिन हम उनके भाव को समझ रहे हैं। इसमें थोड़ी गुणवत्ता पर जोर देने की जरूरत है। उसके लिए हम सारे पाठ्यक्रमों को तैयार कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: आप दूसरा सप्लीमेंटरी स्पेसिफिक पूछेंगे, तो हम आपको इजाजत देंगे।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, पहला मेरा सवाल नही था, वह सुझाव था। मान्यवर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्वन यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले स्नातक बेरोजगारों को प्रशिक्षण काल में सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाता है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है और यदि नही, तो क्या सरकार भविष्य में इस दिशा में विचार करेगी?

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: उपसभापति महोदय, यह बड़ा विस्तृत फलक का प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा है, लेकिन सदस्य की भावना बिल्कुल महत्वपूर्ण है, औचित्यपूर्ण है बेरोजगार युवाओं के लिए। हमारी सरकार गरीबी रेखा से निरन्तर ऊपर निकालने के प्रयत्नों में अनेक योजनाएं चला रही है। उन्ही योजनाओं के क्रम में हमारे विभाग द्वारा भी अनेक योजनाएं हैं। अब हम ऐसे विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल कोर्सेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ताकि traditional graduates की जगह, vocational courses करके रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराएं और वे बेरोजगारी की स्थिति से उबरें।

श्री अमर शंकर साबले: उपसभापति महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें बताया गया है कि अपर्याप्त कुशल और प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की कमी दूर करने के लिए सरकार MSDA virtual platform का उपयोग करेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई योजना बना रही है?

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: उपसभापति महोदय, हम ऐसी कई प्रकार की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अभी तक हमारे जितने भी अनुभवी प्रशिक्षक हैं, उनमें दो तरह के प्रशिक्षक रखते हैं- एक शॉर्ट टर्म और दूसरे लॉन्ग टर्म। माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में जो एक मूल्यवान बात अनुभव की कही है, मैं उस बारे में बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने मई, 2018 में Temasek Foundation International और Singapore Polytechnic के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है और 6 मार्च, 2019 को इसका पहला बैच NSTI, Hyderabad में प्रारम्भ हो चुका है। इस प्रकार से हम कई स्तरों पर quality improvement के काम कर रहे हैं।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I would like to ask the hon. Minister about the actual number of women trainees, women trained and employed. If you do not have the answer with you at the moment, I would be happy if you send it to me.

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: उपसभापति जी, हमने ट्रेनिंग के लिए 33 इंस्टीट्यूट्स चलाए हैं। माननीय सदस्या के सवाल का जो भाव है, हमने उसका ध्यान रखा है। मैं बताना चाहता हूं कि इनमें से 18 इंस्टीट्यूट्स केवल विमेन ट्रेनिंग के लिए चला रहे हैं, ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा विमेन को ट्रेनिंग मिले और 15 जनरल चला रहे हैं, जिनमें विमेन और जेंट्स, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। माननीय सदस्या का शेष प्रश्न एक्चुअल संख्या के बारे में रह गया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसका विवरण उन्हें उपलब्ध करा दूंगा।

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, after acquiring the skills from these training institutes, obviously, these students go to industry where they are given jobs. But there is a frequent complaint from the industry that these people, who are coming out, have to be re-trained by the industry because they are not compatible with the requirements of the industry. I think the primary reason for that is that the trainers that we have are not adequately trained. My question is: Will the Government consider the possibility of setting up trainers' training academies so that the trainers, who are training our young students, are properly trained? That would also mean that they would then be more compatible with the industry as a whole.

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: उपसभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, उस पर हम शुरू से ध्यान दे रहे हैं। ऐसे 51 इंस्टीट्यूट्स में, स्टेट, केन्द्र और उसके साथ-साथ 12 निजी क्षेत्रों के इंस्टीट्यूट्स हैं एवं इसके साथ-साथ 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स गठित की गई हैं। उन्हें हम ट्रेनिंग कराने और ट्रेनिंग के बाद सर्टिफाई करने की पावर्स भी देते हैं। इनीशियल स्टेज में हर काउंसिल को हम 5 करोड़ रुपए का स्टार्टिंग बजट देते हैं। यह सब हम इस बात को ध्यान में रखकर ही करते हैं कि वह इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग करें, फिर भी हम accept करते हैं कि इसमें गुणवत्ता को और सुधारने की जरूरत है। उस पर कार्य-योजना लगातार एक सतत प्रक्रिया में चल रही है।

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या 292. माननीय सदस्य अनुपस्थित।

* 292. *[The questioner was absent]*

Recruitment in Group 'D' posts

*292. SHRI T. RATHINAVEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways propose to fill up the vacancies of Group 'D' posts in a time-bound manner;

(b) if so, the steps taken by Railways in this regard; and

(c) the total number of persons appointed in Group 'D' posts after the said initiative was taken by Railways?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI ANGADI SURESH CHANNA BASAPPA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Two recruitment notifications have been issued in 2018 and 2019 for 63,202 and 1,03,769 respectively for Level-1 (erstwhile Group 'D') vacancies on Indian Railways.